Section 22 : Power to make rules

(1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (*1*), the Government may make rules for all or any of the matters which by this Act are required to be, or may be, prescribed or in respect of which provisions are to be or may be made by rules.

(3) The power to make rules conferred by this section shall include the power to give retrospective effect to the rules or any of them from a date not earlier than the date on which the provisions of this Act come into force.

(4) Any rules made under sub-section (*1*) may provide that a contravention thereof shall be liable to a penalty not exceeding ten thousand rupees.

धारा 22 : नियम बनाने की शक्ति

(1) सरकार परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार ऐसे सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हों या विहित किए जाएं या जिनके सम्बन्ध में उपबन्ध नियमों द्वारा बनाए जाने है या बनाए जाएं।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत, उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होते हैं, अपूर्व किसी तारीख से, नियमों या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है।

(4) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों में यह उपबन्ध किया जा सकेगा कि उनका उल्लंघन दस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति के दायित्वाधिन होगा।